अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला – खरसावॉ।

आदेश फलक

आदेश पत्रक ता0 ....

जिला, – सरायकेला – खरसावॉ

~~सीमांकन~~ अपील वाद सं0– 05/16–17

केस का प्रकार – **मथुरा प्रसाद साहू वनाम रामप्रसाद साहू**

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी तारीख सहित
09/11/2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह अपील अंचल अधिकारी, सरायकेला द्वारा सीमांकन वाद सं0–09/12–13 में दिनांक 04.10.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध किया गया है। जिसमें उल्लेखित भूमि विवरणी निम्नवत है – मौजा: सरायकेला नगरपालिका, वार्ड नं0–8; थाना सं0: 301; खाता सं0: 188; प्लॉट सं0: 279 a,b / 281; रकवा: 0.01, 0.01, 0.01 = 0.03 प्रथम पक्ष लगातार दो तिथियों से अनुपस्थित है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्व में अपना लिखित रूप से पक्ष रखा गया है जिसमें उल्लेखित है कि पूर्व में आवेदक के प्रश्नगत भूखण्ड का सीमांकन वाद सं0–28/10–11 के माध्यम से मापी किया गया है इसलिए वर्तमान में श्री राम प्रसाद साहु के आवेदन के आलोक में की गई सीमांकन वाद सं0–09/12–13 सही नहीं है। इसके प्रतिउत्तर में प्रतिवादी द्वारा लिखित रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि इनके आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला द्वारा सीमांकन वाद सं0–09/12–13 संधारित कर स्वयं के भूखण्ड का सीमांकन कराया गया है। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्क/दस्तावेज के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रथम पक्ष द्वारा सीमांकन वाद सं0–28/10–11 से संदर्भित किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए अंचल अधिकारी,सरायकेला द्वारा सीमांकन वाद सं0–09/12–13 में दिनांक 04.10.2016 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) 5/11/17 अपर उपायुक्त, सरायकेला – खरसावॉ। (हस्ताक्षर) 5/11/17 अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावॉ।	

Land details table:

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
सरायकेला	301	188	279 a,b	0.01
नगरपालिका,				0.01
वार्ड नं0–8			281	0.01
				0.03